

## FORM - I

(For linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector

Pauri Garhwal

No 409/26-यशोवर्धन (यशोवर्धन)

Dated 16-02-15

## TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No, 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights). Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 4.427 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Rural Development Department for construction of Kaljikhali to Saknibadi Motor Road (Village Link Road) in Pauri Garhwal district falls within jurisdiction of Naugaon, Saknibadi, Deval, Goran, Sakni Choti villages in Pauri tehsils.

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.427 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee of the Forest Rights Committee(s) Gram Sabha(s) Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 01 to annexure 02
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it,
- The each of concerned Gram Sabha(s) has certified that all formalities/ processes under the FRA have proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl. As above.

(Chandra Sekhar Bhatt)

District Collector, Pauri Garhwal

जिलाधिकारी

गढ़वाल

## FORM - II

(For projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector

Pauri Garhwal

No .....

Dated .....

## TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 4.427 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Rural Development Department for construction of Kaliikhal to Saknibadi Motor Road (Village Link Road) in Pauri Garhwal district falls within jurisdiction of Naugaon, Saknibadi, Deval, Goran, Sakni Choti villages in Pauri tehsils.

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.427 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetinfs of the Forest Rights Committee are enclosed as annexure 01 to annexure 02
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA.
- (c) The each of concerned Gram Sabha(s) has certified that all formalities/ processes under the FRA have been carried out and that they given their consent to the proposed diversion and the comperisation and ameliorative messures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of Naugaon, Saknibadi, Deval, Goran, Sakni Choti villages in Pauri tehsils is enclosed as annexure 01 to annexure 02.
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it,
- (f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1)(e) of the FRA.

Encl. As above.

2  
10.2.15

(Chandra Sekhar Bhatt)

District Collector, Pauri Garhwal

जिलाधिकारी

गढ़वाल



Annexure .....

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER  
DISTRICT PAURI (U.K)**

**Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.**

A meeting of the District level Committee of Pauri District, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Chandra Sekhar Bhatt, I.A.S., Deputy Commissioner, Pauri on 10-02-15 at 1:00 A.M at Pauri in which the application claiming rights in Mail area measuring 4.427 Hect for the construction of Kaljikhal to Sankuwa Motor Road of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub Division Level Committee of Kotdwara Sub Division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/Claims were found to have been made & hence District Level Committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: PAURI

Dated: 10-02-15

2  
10.2.15  
Deputy Commissioner-cum-Chairman  
District Level Committee

जिलाधिकारी  
गढ़वा



It is Further Certified that:- Minutes of Meeting of construction of Kaljikhali to Saknibadi Motor Road (Length 7.575 Km) regarding FRA is as following:-

Sl. No.		Remark
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA had been carried out for the entire <b>4.427 hectares</b> of forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meeting of the Forest Right Committee(s), Sub Division Level Committee(s) are enclosed as annexure.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to Schedule Tribes and other Traditional Forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have been given consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to Schedule Tribes and other Traditional Forest Dwellers. No Objection Certificate concerned villages regarding construction of aforesaid construction of motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups pre-agricultural Communities.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to Schedule Tribes and other Traditional Forest Dwellers.

श्रीमती. जिला राकत  
जिला पंचायत सदस्य  
08 मेमा पोडी, कल्याणवाले

जिला समाज कल्याण अधिकारी  
जिला समाज कल्याण अधिकारी  
बोरो पदवाले

प्रमाणित जिलाधिकारी  
प्रमाणित जिलाधिकारी  
पौड़ी

अधिसासी अभियन्ता  
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड लो०नि०वि०  
सतपुली (मु० कोटद्वार)

10.2.15  
(चन्द्रशेखर भट्ट)  
जिलाधिकारी  
पौड़ी (गढ़वाल)  
जिलाधिकारी  
गढ़वाल

परियोजना का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत कल्जीखाल से साकनीबड़ी मोटर मार्ग (7.575 किमी) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, पौड़ीगढ़वाल  
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र  
उपखण्ड स्तरीय समिति, पौड़ीगढ़वाल

उपखण्ड पौड़ीगढ़वाल परिक्षेत्र के अन्तर्गत कल्जीखाल से साकनीबड़ी मोटर मार्ग (शून्य हे० आरक्षित वन भूमि, 4.427 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि, शून्य हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 4.427 हे० वन भूमि) का पी०एम०जी०एस०वाई० लो०नि०वि० सतपुली प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पौड़ीगढ़वाल) की दिनांक 25/05/2018 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री पी०एम०जी०एस०वाई० उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- |    |                              |                           |                           |         |
|----|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|
| 1- | श्री <u>पी०एम०जी०एस०वाई०</u> | उपजिलाधिकारी              | <u>पी०एम०जी०एस०वाई०</u>   | अध्यक्ष |
| 2- | श्री <u>S. K. Kola</u>       | उप प्रभागीय वनाधिकारी     | <u>डा० बालू वन डिप्टी</u> | सदस्य   |
| 3- | श्री <u>सुनील कुमार</u>      | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | <u>मो० सुदाम</u>          | सचिव    |
| 4- | श्री <u>सुनील कुमार</u>      | पौड़ीसी क्षेत्र           | <u>जयदेव</u>              | सदस्य   |

उपखण्ड स्तरीय द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि कल्जीखाल से साकनीबड़ी मोटर मार्ग परियोजना हेतु 4.427 हे० वन भूमि पी०एम०जी०एस०वाई० एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के सम्मुख रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, पी०एम०जी०एस०वाई० द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनुमति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड पौड़ीगढ़वाल परिक्षेत्र के अन्तर्गत कल्जीखाल से साकनीबड़ी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 4.427 हे० वन भूमि पी०एम०जी०एस०वाई० लो०नि०वि० सतपुली प्रयोक्ता एजेन्सी के जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील- पौड़ी गढ़वाल  
जनपद- पौड़ी गढ़वाल

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, पौड़ी को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील- पौड़ी गढ़वाल  
जनपद- पौड़ी गढ़वाल



परियोजना का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत कल्जीखाल से साकनीबड़ी मोटर मार्ग (7.575 किमी) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम देवता मोटम, साकनीबड़ी  
तहसील लैन्सडौन, जिला पौड़ीगढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत कल्जीखाल से साकनीबड़ी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (शून्य हे० आरक्षित वन भूमि, 4.427 हे० सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि शून्य हे०) अर्थात् कुल 4.427 हे० वन भूमि का राज्य विभाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत देवता मोटम द्वारा दिनांक 01/05/2023 को सम्पन्न ग्राम समा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम समा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम साकनीबड़ी एवं साकनीछोटी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 4.427 हे० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत अधिकारी  
देवता मोटम सहित  
01/05/2023

गलपत्तन सिंह  
01/05/2023

ग्राम प्रधान/सरपंच  
देवता मोटम सहित  
01/05/2023

Kuldeep Singh  
01/05/2023

देवता मोटम  
01/05/2023

दिनांक 30/04/2022 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत साकनीबड़ी, साकनीछोटी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	गुरुदत्त सिंह साकनीबड़ी देवा	
2	सुरेश कुमार साकनीबड़ी देवा देवा	
3	बालकृष्ण साकनीबड़ी देवा	हरि सिंह
4	किरण सिंह साकनीबड़ी देवा	किरण सिंह
5	श्री लाल देवा देवा	श्री लाल
6	रामेश कुमार देवा देवा	रामेश कुमार
7	मोहन देवा देवा	मोहन
8	विद्यालाल देवा साकनीबड़ी देवा	विद्यालाल देवा
9	कमल देवा देवा	कमल देवा
10	पुष्पा देवा देवा	पुष्पा देवा
11	देवेन्द्र देवा देवा	देवेन्द्र देवा
12	कल्याण देवा देवा	कल्याण देवा
13	कुलदीप सिंह देवा देवा	Kuldeep Singh
14	देवेश सिंह देवा देवा	D.S. Singh
15	बलराम सिंह देवा देवा	Balram Singh
16		
17		
18		

